



# जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 02.07.2024

**थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

आज दिनांक 02.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 29.03.2024 को थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

**नाम व पता अभियुक्त:-**

1.अंकुश पुत्र सुभाष निवासी मौ0 पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1.उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 रिकू भाटी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.म0का0 मनीषा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



**थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

आज दिनांक 02.07.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 07.06.2024 को थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

**नाम व पता अभियुक्त:-**

1. अजय पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम कुरड़ी थाना छपरौली जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री योगेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2. है०का० विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3. का० सूर्य प्रताप थाना कांधला जनपद शामली।



**उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-**

वर्ष 2020 में अभियुक्त नीटू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 659/2020 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 02.07.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा उपरोक्त में सुनाई जेल में बितायी गई अवधि के कारावास की सजा व 15,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

**नाम व पता अभियुक्त:-**

1.नीटू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली ।

**SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI**